न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12 / 2024, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. कजोडमल पुत्र रामपाल
2. भागीरथ पुत्र रामपाल
3. रमसीराम पुत्र रामपाल
4. बुद्धि पुत्र रामपाल

समस्त जाति मीना निवासी भांवती तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रामसिंह राजावत उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा।
2. सीताराम
3. भूराराम
4. गिर्राज प्रसाद
5. विश्राम

(2 से 5) समस्त जाति मीना निवासी भांवती तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली संख्या 73 / 2024 उनवानी सीताराम वगैरा बनाम राज. सरकार न्यायालय उप जिला कलक्टर एंव उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री प्रदीप कुमार विजय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 03.01.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट पेश किया जिसमे प्रार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये प्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की भूमि जिस पर तहसीलदार द्वारा गलत तरमीम के आधार पर सीमाज्ञान कर उक्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 ने खाता संख्या 98 बाबत पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिस बाबत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है तथा तहसीलदार द्वारा गलत तरमीम से तहसीलदार ने प्रार्थीगण का करीब 0.60 है. भूमि का रकबा कम कर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की भूमि में जोड दिया। जिस बाबत प्रकरण विचाराधीन हेते हुये तथा न्यायालय का स्थगन आदेश होते हुये भी तहसीलदार बांदीकुई अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 4 का रिश्तेदार होने से अनुचित पक्षपाती करते हुये स्थगनशुदा भूमि पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 द्वारा उपखण्ड अधिकरी बांदीकुई से सांठ गांठ कर ली है। प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से निष्पक्ष न्याय मिलने की आशा नहीं है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:04:30 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार विजय उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पैरावाईज टिप्पणी उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट में प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि उक्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जे व स्वामित्व वाली भूमि है। तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के आवेदन पर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के स्थगन आदेश की जानकारी होते हुये भी गलत तरमीम कर सीमाज्ञान कर उक्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कर रहे है। जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकरी व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण विचाराधीन है फिर भी तहसीलदार द्वारा गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण का करीब 0.60 है. भूमि का रकबा कम करके अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की भूमि में जोड दिया गया है। उक्त प्रकरण बाबत् दिनांक 1.11.2022 व 19.12.2017 से स्थगन आदेश भी जारी किये गये है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 का रिश्तेदार होने के कारण तहसीलदार अनुचति कार्यवाही करते हुये स्थगनशुदा भूमि पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर एलानियां धमकी देरक कहा है कि तहसीलदार बांदीकुई हमारा रिश्तेदार है तहसीलदार बांदीकुई के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से हमारी बात हो गई है। उक्त प्रकरण में पत्थरगढी करवाकर तुम प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करके रहेंगे। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 को उपखण्ड कार्यालय बांदीकुई के चैम्बर में दिनांक 25.06.2024 को बैठे हुये व बात करते हुये देखा गया उसी दिन अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 द्वारा गांव में आकर एलानिया कहां कि उपखण्ड अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 से हमने सांठ गांठ कर ली है। तहसीलदार द्वारा गलत तरमीम कर नक्शाशीट में गलत रकबा दर्शित कर रखा है। उक्त गलत नक्शाशीट के आधार पर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जबकि प्रार्थीगण मौके पर काबिज है। अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ हो जाने से प्रार्थीगण को पूर्ण अंदेशा हो गया है कि अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय मिलने की आशा नहीं है। अतः उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन पत्रावनी उनवानी सीताराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट प्रकरण संख्या 73/2024 को न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई से स्थाानान्तरित कर अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने निहायती झूंठे तथ्यों के आधार पर उप जिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 128 एल. आर. एक्ट उनवानी सीताराम बनाम राज. सरकार केस नम्बर 73/2024 को स्थानान्तरित करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया है। मात्र केस को देरीना करने के लिये ताकि प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सके इस अनुचित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये पेश किया है। प्रार्थीगण ने लिखित बहस के पैरा नम्बर 1 में बताया है कि प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाकर प्रार्थना पत्र धारा 128 एल. आर. एक्ट पेश किया है। उप जिला कलक्टर बांदीकुई ने भी अपना जवाब दिया है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी प्रस्तुत करने पर उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार करके उनको पक्षकार बनाया गया है तथा उनके द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:04:30 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के स्थगन आदेश की जो प्रति पेश की गई है वो शामिल पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिया है किन्तु फिर भी प्रार्थीगण ने केस को देरी ना करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश कर दिया है। प्रार्थीगण ने जो भी झूंठे एलीगेशन पीठासीन अधिकारी पर लगाये है उनके सम्बन्ध में किसी तरह के कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किये है केवल मात्र कहानी बनाकर झूंठे एलीगेशन लगाये है। अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण मामले को विलम्बित करने का प्रयास कर रहे है। पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप आधारहीन है। अनेक न्यायिक दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि बिना किसी आधार पर केवल आरोप लगाने से ही प्रकरण का स्थानान्तरण नहीं करना चाहिये। प्रकरण का स्थानान्तरण करने के लिये ठोस सबूत होने चाहिये। प्रार्थीगण ने एक भी ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह प्रतीत होता हो कि पीठासीन अधिकारी ने कोई मिलीभगत कर रखी हो। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण 10000 रूपये कोस्ट के साथ खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 धारा जा. दी. पेश किया था। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया। वकील श्री अमरसिंह गुर्जर द्वारा दिनांक 06.06.2024 को छायाप्रति नकल समस्त आदेशिका मय अपील उनवानी प्रकरण संख्या 145/2022 कजोडमल बनाम गिर्राज न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी दौसा मु. जयपुर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया गया है तथा प्रकरण से संदर्भित अपील न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी दौसा मुख्यालय जयपुर में विचाराधीन है। उक्त तथ्य को प्रार्थीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण सं.73/2024 उनवानी सीताराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर एवं अन्य अपीलेट न्यायालय में प्रस्तुत संदर्भित प्रकरण की जानकारी कर तद्नुसार अपेक्षित नियमोचित कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करे। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति [illegible] अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:04:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा